काश्त कारों के लिये एक राहनुमा तह्रीर

ऩ्श्र के अह्काम

(ज़मीन की ज़कात के मसाइल)

इस रिसाले में आप पढ़ेंगे

- ऩ्श्र किसे केहते हैं ?
- ऩ्श्र देने की फ़ज़ीलत
- ऩ्श्र किस पैदावार पर वाजिब है ?
- ऩ्श्र कब और किसे दिया जाए ?
- ठेके पर दी हुई ज़मीन पर ऩ्श्र का हुक्म
- ऩ्श्र देने का त़रीक़ा
- दा'वते इस्लामी की झल्कियां

पेशकश: मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) (शो'बए इस्लाही कुतुब)

मक्त-बतुल मदीना®
सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा अह्मदआबाद-1. गुजरात, इन्डिया
Ph:91-79- 25391168 E:mail: maktabahind@gmail.com
www.dawateislami.net

दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत	4
उ़श्र का बयान	4
उ़श्र के फ़ज़ाइल	4
उ़श्र अदा न करने का वबाल	5
किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?	6
शहद की पैदावार पर उ़श्र	7
किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब नहीं ?	7
उ़श्र वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक़्दार	8
पागल और ना बालिग़ पर उ़श्र	8
क़र्ज़दार पर उ़श्र	8
शर-ई फ़क़ीर पर उ़श्र	9
उ़श्र के लिये साल गुज़रना शर्त़ है या नहीं ?	9
मुख़्तलिफ़ ज़मीनों का उ़श्र	9
ठेके की ज़मीनों का उ़श्र	9
अगर ख़ुद फ़स्ल न बोई तो उ़श्र किस पर है ?	9
मुश्तरिका ज़मीन का उ़श्र	10
घरेलू पैदावार पर उ़श्र	10
उ़श्र की अदाएगी से पहले अख़्राजात अलग करना	10
उ़श्र की अदाएगी	11
उ़श्र पेशगी अदा करना	11
फल ज़ाहिर होने और खेती तैयार होने से मुराद	11
पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?	11
उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर	12
उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ते'माल	12
उ़श्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?	12
उ़श्र में रक़म देना	12
अगर तवील अ़रसे से उ़श्र अदा न किया हो तो ?	13
अगर फ़स्ल ही काश्त न की तो ?	13
फ़स्ल ज़ाएअ़ होने की सूरत में उ़श्र	13
उ़श्र किस को दिया जाए	13
जिन को उ़श्र नहीं दे सकते	15
इमामे मस्जिद को उ़श्र देना	16
ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल	17
रबीअ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल	17
दा'वते इस्लामी के साथ तआ़वुन कीजिये	17
दा'वते इस्लामी की झल्कियां	18
मआखजो मराजेअ	22

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या

अज़: बानीए दा'वते इस्लामी, आ़शिके़ आ'ला ह़ज़रत, शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुह़म्मद इल्यास अ़त्त़ार क़ादिरी रज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

तब्लीग़े कु़रआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक ***"दा'वते इस्लामी"*** नेकी की दा'वत, एह़याए सुन्नत और इशाअ़ते इ़ल्मे शरीअ़त को दुन्या भर में आ़म करने का अ़ज़्मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्ने ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअ़द्दिद मजालिस का कि़याम अ़मल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस ***"अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या"*** भी है जो दा'वते इस्लामी के उ़-लमा व मुफ़्तियाने किराम كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस़ इ़ल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए ज़ैल छे शो'बे हैं :

(1) शो'बए कुतुबे आ'ला ह़ज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه   (2) शो'बए दर्सी कुतुब
(3) शो'बए इस्लाह़ी कुतुब   (4) शो'बए तराजिमे कुतुब
(5) शो'बए तफ़्तीशे कुतुब   (6) शो'बए तख़्रीज

"अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या" की अव्वलीन तरजीह़ सरकारे आ'ला ह़ज़रत इमामे अहले सुन्नत, अ़ज़ीमुल ब-र-कत, अ़ज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए़ रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, ह़ामीए सुन्नत, माह़ीए बिद्अ़त, आ़लिमे शरीअ़त, पीरे त़रीक़त, बाइस़े ख़ैरो ब-र-कत, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अल्ह़ाज अल ह़ाफ़िज़ अल क़ारी अश्शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की गिरां मायए तस़ानीफ़ को अ़स्रे ह़ाज़िर के तक़ाज़ों के मुत़ाबिक़ ह़त्तल वुस्अ़ सहल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इ़ल्मी, तह़क़ीक़ी और इशाअ़ती म-दनी काम में हर मुम्किन तआ़वुन फ़रमाएं और मजलिस की त़रफ़ से शाएअ़ होने वाली कुतुब का ख़ुद भी मुत़ालआ़ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरग़ीब दिलाएं।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ "दा'वते इस्लामी" की तमाम मजालिस ब शुमूल "अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या" को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक़्क़ी अ़त़ा फ़रमाए और हमारे हर अ़मले ख़ैर को ज़ेवरे इख़्लास़ से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे ख़ज़्रा शहादत, जन्नतुल बक़ीअ़ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

اٰمین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صلی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلّم

र-मज़ानुल मुबारक सिने 1425 हिजरी

पेश लफ़्ज़

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो !

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ! तब्लीग़े कु़रआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक ***"दा'वते इस्लामी"*** की मजलिस ***"अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या"*** (शो'बए इस्लाह़ी कुतुब) की त़रफ़ से मुख़्तलिफ़

मौज़ूआत पर अब तक दरजनों किताबें और रसाइल अ़वामे अहले सुन्नत की ख़िदमत में पेश किये जा चुके हैं। फ़िल वक़्त फ़िक़्ही मौज़ूअ़ पर मुश्तमिल रिसाला ***"उ़श्र के अह़काम*** (पैदावारे ज़मीन की ज़कात के मसाइल)" आप के सामने है। इस मुख़्तसर रिसाले में उ़श्र से मुतअ़ल्लिक़ इन तमाम मसाइल का इह़ात़ा करने की कोशिश की गई है जिन की ज़रूरत काश्तकार इस्लामी भाइयों को पेश आ सकती है।

इस रिसाले को न सिर्फ़ ख़ुद पढ़िये बल्कि दूसरे इस्लामी भाइयों बिल्ख़ुसूस़ ज़मीनदार इस्लामी भाइयों को इस के मुत़ालआ़ की तरग़ीब दे कर स़वाबे जारिया के मुस्तह़क़ बनिये। अल्लाह तआ़ला से दुआ़ है कि हमें ***"अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह़ की कोशिश"*** करने के लिये म-दनी इन्आ़मात पर अ़मल और म-दनी क़ाफ़िलों का मुसाफ़िर बनते रहने की तौफ़ीक़ अ़त़ा फ़रमाए और दा'वते इस्लामी की तमाम मजालिस ब शुमूल मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक़्क़ी अ़त़ा फ़रमाए। اٰمین بجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صلی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلم

शो'बए इस्लाही़ कुतुब (मजलिसे अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या)

दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत

रह़मते आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया: ऐ लोगो ! बेशक बरोज़े क़ियामत इस की दहशतों और ह़िसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख़्स़ वोह होगा जिस ने तुम में से मुझ पर दुन्या के अन्दर ब कस़रत दुरूद शरीफ़ पढ़े होंगे।"

(फ़िरदौसुल अख़्बार, अल ह़दीस़:8210, जिल्द:2, स़-फ़ह़ा:471)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

उ़श्र का बयान

सुवाल: उ़श्र किसे केहते हैं ?

जवाब: ज़मीन से नफ़्अ़ ह़ासि़ल करने की ग़-रज़ से उगाई जाने वाली शय की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उ़श्र केहते हैं।

(अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्सादिस, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:185, मुलख़्ख़स़न)

सुवाल: ज़मीन की ज़कात को उ़श्र क्यूं केहते हैं ?

जवाब: ज़मीन की पैदावार का उ़मूमन दस्वां (1/10) ह़िस़्स़ा बत़ौरे ज़कात दिया जाता है इस लिये इसे उ़श्र (या'नी दस्वां ह़िस़्स़ा) केहते हैं।

उ़श्र के फ़ज़ाइल

सुवाल: उ़श्र देने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब: उ़श्र की अदाएगी करने वालों को इन्आ़माते आख़िरत की बिशारत है जैसा कि क़ुरआने पाक में अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान: और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करो वोह इस के बदले और देगा और वोह सब से बेहतर रिज़्क़ देने वाला। (पारह:22, सबा:39)

सूरए बक़रह में है :

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान: उन की कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उस दाने की त़रह़ जिसने ऊगाई सात बालें । हर बाल में सौ दाने और अल्लाह इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और अल्लाह वुस्अ़त वाला इल्म वाला है वोह जो अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, फिर दिये पीछे न एह़सान रखें न तकलीफ़ दें उन का नेग (इन्आ़म) उन के रब के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा हो न कुछ ग़म ।

सरवरे आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने भी तरग़ीबे उम्मत के लिये कई मक़ामात पर राहे ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ में ख़र्च करने के कई फ़ज़ाइल बयान किये हैं : चुनान्चे

ह़ज़रते सय्यिदुना ह़सन رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ से मरवी है कि नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "ज़कात दे कर अपने मालों को मज़्बूत क़ल्ओं में कर लो और अपने बीमारों का इलाज स़-दक़े से करो और बला नाज़िल होने पर दुआ़ व तज़र्रोअ़ (या'नी गिर्या ज़ारी) से इस्तिआ़नत (या'नी मदद त़लब) करो ।"

(मरासील अबी दावूद मअ़ सुनने अबी दावूद, बाबो फ़िस्स़ाइम, स़-फ़ह़ा:8)

और ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये पाक स़ाहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया: "जिस ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह तआ़ला ने इस से शर दूर फ़रमा दिया ।"

(अल मु'जमुल अवसत़, बाबे अलिफ़, अल ह़दीस़:1579, जिल्द:1, स-फ़हा:431)

उ़श्र अदा न करने का वबाल

सुवाल: उ़श्र अदा न करने का क्या वबाल है ?

जवाब: उ़श्र अदा न करने वाले के लिये क़ुरआने पाक व अह़ादीसे़ मुबारका में सख़्त वई़दें आई हैं। चुनान्चे अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान: और जो बुख़्ल करते हैं इस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह इन के लिये बुरा है अनक़रीब वोह जिस में बुख़्ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का त़ौक़ होगा ।

(पारह:4, आले इमरान:180)

ह़ज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ से रिवायत है कि मक्की म-दनी सरकार, दो आ़लम के मालिको मुख़्तार صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया: "जिस को अल्लाह عَزَّوَجَلَّ माल दे और वोह उस की ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन वोह माल गन्जे सांप की सूरत में कर

दिया जाएगा जिस के सर पर दो चित्तियां होंगी (या'नी दो निशान होंगे), वोह सांप उस के गले में त़ोक़ बना कर डाल दिया जाएगा, फिर उस (ज़कात न देने वाले) की बाछें पकड़ेगा और कहेगा: मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं। इस के बा'द नबिय्ये पाक, स़ाहि़बे लौलाक, सय्याहे़ अफ़्लाक صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान: और जो बुख़्ल करते हैं इस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह इन के लिये बुरा है अन क़रीब वोह जिस में बुख़्ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तोक होगा।

(पारह:3, आले इमरान:180)

(स़ही़ह़ुल बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाबो इस्मे मानिइज़्ज़कात, अल ह़दीस़:1403, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:474)

ह़ज़रते सय्यिदुना बुरीदा رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि सरकारे मदीना, राह़ते क़ल्बो सीना صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : "जो क़ौम ज़कात न देगी अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उसे क़ह़त में मुब्तला फ़रमाएगा।"

(अल मुअ़्जमुल अवसत़, अल ह़दीस़:4577, जिल्द:3, स़-फ़ह़ा:275)

ह़ज़रते सय्यिदुना अमीरुल मुअ्मिनीन उ़मर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम, रउफ़ुर्रह़ीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया: "ख़ुश्की व तरी में जो माल तलफ़ होता है, वोह ज़कात न देने की वजह से तलफ़ होता है।"

(कन्ज़ुल उ़म्माल, किताबुज़्ज़कात, अल फ़स्लुस्स़ानी फ़ी तरहीब मानेइज़्ज़कात, अल ह़दीस़:15803, जिल्द:6, स़-फ़ह़ा:131)

किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

सुवाल: ज़मीन की किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

जवाब: जो चीज़ें ऐसी हों कि इन की पैदावार से ज़मीन का नफ़्अ़ ह़ासिल करना मक़्सूद हो ख़्वाह वोह ग़ल्ला, अनाज और फल फ़्रूट हों या सब्ज़ियां वग़ैरा म-स़लन अनाज और ग़ल्ले में गन्दुम, जव, चावल, गन्ना, कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, और सूरज मुखी, राई, सरसों और लोसन वग़ैरा।

फलों में ख़रबूज़ा, आम, अम्रूद, मालटा, लूकाट, सेब, चीकू, अनार, नाश्पाती, जापानी फल, संगतरा, पपीता, और नारियल, तरबूज़, फाल्सा, जामुन, लीची, लीमूं, खूबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा वग़ैरा।

सब्ज़ियों में ककड़ी, टींडा, करेला, भिंडी तूरी, आलू, टमाटर, घिय्यातूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और इर्वी, तोरिया, फूल गोभी, बन्दगोभी, शल्ग़म, गाजर, चुकन्दर, मटर, प्याज़, लहसन, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के साग

www.dawateislami.net

और मेथी और बेंगन वग़ैरा। इन सब की पैदावार में से उ़श्र (या'नी दस्वां हि़स्सा) या निस्फ़ उ़श्र (या'नी बीस्वां हि़स्सा) वाजिब है।

(अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्सादिस, जिल्दः1, स़-फ़ह़ाः186)

अल्लाह तआ़ला ने सूरतुल अन्आ़म में फ़रमायाः

وَاٰتُوۡا حَقَّهٗ يَوۡمَ حَصَادِهٖ ***तर्जमए कन्ज़ुल ईमानः*** खेती कटने के दिन उस का ह़क़ अदा करो।

(पारहः8, अल अन्आ़मः142)

इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवानए शम्ए रिसालत, अश्शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن लिखते हैं कि अक्सर मुफ़स्सिरीन म-स़लन ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास, त़ाऊस, ह़सन, जाबिर बिन ज़ैद और सईद बिन मुसय्यब رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُم के नज़्दीक इस ह़क़ से मुराद ***उ़श्र*** है।

(फ़तावा र-ज़विय्या जदीद, किताबुज़्ज़कात, जिल्दः10, स़-फ़ह़ाः65)

1. मोसिम के ए'तेबार से फ़स्लों, फलों और सब्ज़ियों की तफ़्स़ील स़-फ़ह़ाः15 पर मुलाह़ज़ा फ़रमाएं।

नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमायाः "हर उस शय में जिसे ज़मीन ने निकाला, (उस में) उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र है।"

(कन्ज़ुल उ़म्माल, किताबुज़्ज़कात, बाबो ज़कातिन्नबाति वल फ़वाकिह, अल ह़दीसः15873, जिल्दः6, स़-फ़ह़ाः140)

ह़ज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ बयान करते हैं कि रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमायाः "जिन ज़मीनों को दरया और बारिश सैराब करे उन में उ़श्र (दस्वां हि़स्सा देना वाजिब) है और जो ज़मीनें ऊंट के ज़रीए सैराब की जाएं उन में निस्फ़ उ़श्र (बिस्वां हि़स्सा वाजिब) है।"

(स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुज़्ज़कात, बाबो माफ़ीहिल उ़श्र अव निस्फ़ु उ़श्र, अल ह़दीसः981, स़-फ़ह़ाः488)

सुवालः निस्फ़ उ़श्र से क्या मुराद है?

जवाबः निस्फ़ उ़श्र से मुराद बीस्वां हिस्सा 1/20 है।

(बहारे शरीअ़त, हि़स्स़ाः5, स़-फ़ह़ाः15)

शहद की पैदावार पर उ़श्र

सुवालः उ़श्री ज़मीन में जो शहद पैदा हो क्या उस पर भी उ़श्र देना पड़ेगा?

जवाबः जी हां।

(अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्सादिस, जिल्दः1, स़-फ़ह़ाः186)

किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब नहीं ?

सुवालः किन फ़स्लों पर उ़श्र वाजिब नहीं?

जवाबः जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़्अ़ ह़ासि़ल करना मक़्स़ूद न हो उन में उ़श्र नहीं जैसे ईंधन, घास, बैद, सरकन्डा, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं), खजूर के पत्ते वग़ैरा, इन के इ़लावा हर क़िस्म की तरकारियों और फलों के बीज कि इन की खेती से

www.dawateislami.net

तरकारियां मक़्सूद होती हैं बीज मक़्सूद नहीं होते और जो बीज दवा के त़ौर पर इस्ते'माल होते हैं म-स़लन चुकन्दर, मेथी और कलौंजी वग़ैरा के बीज, उन में भी उ़श्र नहीं है। इसी त़रह़ वोह चीज़ें जो ज़मीन के ताबेअ़ हों जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गूंद, इस में उ़श्र वाजिब नहीं।

अलबत्ता अगर घास, बैद, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं) वग़ैरा से ज़मीन के मनाफ़ेअ़ ह़ासिल करना मक़्सूद हो और ज़मीन उन के लिये खाली छोड़ दी तो उन में भी उ़श्र वाजिब है। कपास और बैंगन के पौदों में उ़श्र नहीं मगर इन से ह़ासिल कपास और बैंगन की पैदावार में उ़श्र है।

(दुर्रे मुख़्तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल उ़श्र, जिल्द:3, स़-फ़ह़ा:315, अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्सादिस फ़ी ज़कात ज़रअ़, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:186)

उ़श्र वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक़्दार

सुवाल: उ़श्र वाजिब होने के लिये गल्ला, फल और सब्ज़ियों की कम अज़ कम कितनी मिक़्दार होना ज़रूरी है ?

जवाब: उ़श्र वाजिब होने के लिये इन की कोई मिक़्दार मुक़र्रर नहीं है बल्कि ज़मीन से ग़ल्ला, फल और सब्ज़ियों की जितनी पैदावार भी ह़ासिल हो उस पर उ़श्र या निस़्फ़ उ़श्र देना वाजिब होगा।

(अल फ़तावल हिन्दिया, अल मर्जिउ़स्साबिक़)

पागल और ना बालिग़ पर उ़श्र

सुवाल: अगर उन की पैदावार का मालिक पागल और ना बालिग़ हो तो उस को भी उ़श्र देना होगा ?

जवाब: उ़श्र चूंकि ज़मीन की पैदावार पर अदा किया जाता है लिहाज़ा जो भी इस पैदावार का मालिक होगा वोह उ़श्र अदा करेगा चाहे वोह मज्नून (या'नी पागल) और ना बालिग़ ही क्यूं न हो।

(अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्सादिस फ़ी ज़कातिज़रअ़, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:185, मुलख़्ख़स़न)

क़र्ज़दार पर उ़श्र

सुवाल: क्या क़र्ज़दार को उ़श्र मुआ़फ़ है ?

जवाब: क़र्ज़दार से उ़श्र मुआ़फ़ नहीं, इस लिये अगर क़र्ज़ ले कर ज़मीन ख़रीदी हो या काश्त कार पहले से मक़रूज़ हो या क़र्ज़ ले कर काश्त कारी की हो इन सब सूरतों में क़र्ज़दार पर भी उ़श्र वाजिब है।"

(अद्दुर्रुल मुख़्तार व रद्दुल मुह़तार, किताबुज़्ज़कात बाबुल उ़श्र, जिल्द:3, स़-फ़ह़ा:314)

अ़ल्लामा आ़लिम बिन उ़ला अल अन्स़ारी رحمۃ اللہ تعالٰی علیہ फ़रमाते हैं कि "ज़कात के बर ख़िलाफ़ उ़श्र मक़रूज़ पर भी वाजिब होता है।"

(फ़तावा तातारख़ानिया, किताबुल उ़श्र, जिल्द:2, स़-फ़ह़ा:330)

शर-ई फ़क़ीर पर उ़श्र

सुवाल : क्या शर-ई फ़क़ीर पर भी उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : जी हां, शर-ई फ़क़ीर पर भी उ़श्र वाजिब है क्यूंकि उ़श्र वाजिब होने का सबब ज़मीने नामी (या'नी क़ाबिल काश्त) से ह़क़ीक़तन पैदावार का होना है, इस में मालिक के ग़नी या फ़क़ीर होने का कोई ए'तेबार नहीं।

(माख़ूज़ मिनल इनायति वल किफ़ाया, किताबुज़्ज़कात, बाबो ज़कातिज़्ज़ुरूअ़, जिल्दः2, स़-फ़ह़ाः188)

उ़श्र के लिये साल गुज़रना शर्त़ है या नहीं ?

सुवाल : क्या उ़श्र वाजिब होने के लिये साल गुज़रना शर्त़ है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिये पूरा साल गुज़रना शर्त़ नहीं बल्कि साल में एक ही खेत में चन्द बार पैदावार हुई तो हर बार उ़श्र वाजिब है।

(अद्दुर्रुल मुख़्तार व रद्दुल मुह़्तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल उ़श्र, जिल्दः3, स़-फ़ह़ाः313)

मुख़्तलिफ़ ज़मीनों का उ़श्र

सुवाल : मुख़्तलिफ़ ज़मीनों को सैराब करने के लिये अलग अलग त़रीक़े इस्ते'माल किये जाते हैं, तो क्या हर क़िस्म की ज़मीन में उ़श्र (या'नी दस्वां ह़िस़्स़ा ही) वाजिब होगा ?

जवाब : इस सिल्सिले में क़ाइ़दा येह है कि

★ जो खेत बारिश, नहर, नाले के पानी से (क़ीमत अदा किये बिग़ैर) सैराब किया जाए, इस में उ़श्र या'नी दस्वां ह़िस़्स़ा वाजिब है,

★ अगर (नहर या ट्यूब वेल वग़ैरा का) पानी ख़रीद कर आबपाशी की हो या'नी वोह पानी किसी की मिल्किय्यत है उस से ख़रीद कर आबपाशी की, जब भी निस़्फ़ उ़श्र वाजिब है,

★ अगर वोह खेत कुछ दिनों बारिश के पानी से सैराब कर दिया जाता है और कुछ डोल (या अपने ट्यूब वेल) वग़ैरा से, तो अगर अक्सर बारिश के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वग़ैरा से तो उ़श्र वाजिब है वरना निस़्फ़ उ़श्र वाजिब है।

(दुर्रे मुख़्तार व रद्दुल मुह़्तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल उ़श्र, जिल्दः3, स़-फ़ह़ाः316)

ठेके की ज़मीनों का उ़श्र

सुवाल : क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ?

जवाब : जी हां, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा।

सुवाल : येह उ़श्र कौन अदा करेगा ?

जवाब : इस उ़श्र की अदाएगी काश्तकार पर वाजिब होगी।

(रद्दुल मुह़्तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल उ़श्र, जिल्दः3, स़-फ़ह़ाः314)

अगर ख़ुद फ़स्ल न बोई तो उ़श्र किस पर है ?

सुवाल : अगर ज़मीन का मालिक ख़ुद खेती बाड़ी में ह़िस़्स़ा न ले बल्कि मुज़ारिओं से काम ले तो उ़श्र मुज़ारिअ़ पर होगा या मालिके ज़मीन पर ?

जवाब : इस सिल्सिले में देखा जाएगा कि

अगर मुज़ारिअ़ से मुराद वोह है जो ज़मीन बटाई पर लेता है या'नी पैदावार में से आधा या तीसरा हिस्सा वग़ैरा मालिके ज़मीन का और बक़िय्या मुज़ारिअ़ का हो तो इस सूरत में दोनों पर इन के हिस्से के मुताबिक़ उ़श्र वाजिब होगा सद्रुश्शरीआ, बद्रुत्तरीक़ा, मौलाना अमजद अ़ली आ'ज़मी رحمۃ اللہ تعالی علیہ बहारे शरीअ़त में फ़रमाते हैं, "उ़श्री ज़मीन बटाई पर दी तो उ़श्र दोनों पर है।"

(बहारे शरीअ़त, जिल्द:5, स-फ़हा:54)

और अगर मुज़ारिअ़ से मुराद वोह है कि जिस को मालिके ज़मीन ने ज़मीन इजारे पर दी म-स़लन फ़ी एकड़ पचास हज़ार रूपिया तो इस सूरत में उ़श्र मुज़ारिअ़ पर होगा मालिके ज़मीन पर नहीं।

(माखूज़ अज़ बदाएउ़स्सनाएअ़, जिल्द:2, स-फ़हा:84)

मुश्तरिका ज़मीन का उ़श्र

सुवाल : जो ज़मीन किसी की मुश्तरिका मिल्किय्यत हो तो उ़श्र कौन अदा करेगा ?

जवाब : उ़श्र की अदाएगी में ज़मीन का मालिक होना शर्त़ नहीं है बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त़ है इस लिये जो जितनी पैदावार का मालिक होगा वोह उस पैदावार का उ़श्र अदा करेगा। फ़तावा शामी में है कि "उ़श्र वाजिब होने के लिये ज़मीन का मालिक होना शर्त़ नहीं बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त़ है क्यूंकि उ़श्र पैदावार पर वाजिब होता है न कि ज़मीन पर, और ज़मीन का मालिक होना या न होना दोनों बराबर है।"

www.dawateislami.net

(रद्दुल मुह़तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल उ़श्र, जिल्द:3, स-फ़हा:314)

घरेलू पैदावार पर उ़श्र

सुवाल : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो उस पर उ़श्र होगा या नहीं ?

जवाब : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो, उस में उ़श्र वाजिब नहीं है।

(अद्दुर्रुल मुख़्तार, किताबुज़्ज़कात, मत्लुबुन मुहिम्मुन फ़ी हुक्मे आराज़ी मिस्र वश्शाम सुल्तानिया, जिल्द:3, स-फ़हा:320)

उ़श्र की अदाएगी से पहले अख़्राजात अलग करना

सुवाल : क्या उ़श्र कुल पैदावार से अदा किया जाएगा या अख़्राजात निकाल कर बक़िय्या पैदावार से अदा किया जाएगा ?

जवाब : जिस पैदावार में उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र वाजिब हो, इस में कुल पैदावार का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़राअ़त, हल, बेल, हिफ़ाज़त करने वाले और काम करने वालों की उज्रत या बीज, खाद और अदविय्यात वग़ैरा के अख़्राजात निकाल कर बाक़ी का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र दिया जाए।

(अद्दुर्रुल मुख़्तार व रद्दुल मुह़तार, किताबुज़्ज़कात, मत्लुबुन मुहिम्मुन फ़ी हुक्मे आराज़ी मिस्र वश्शाम सुल्तानिया, जिल्द:3, स-फ़हा:317)

सुवाल : हुकूमत को जो माल गुज़ारी दी जाती है क्या उसे भी पैदावार से नहीं निकाला जाएगा ?

जवाब : जी नहीं, इस माल गुज़ारी को भी पैदावार से अलग नहीं किया जाएगा बल्कि उसे भी शामिल कर के उ़श्र का हि़साब लगाया जाएगा ।

उ़श्र की अदाएगी

सुवाल : उ़श्र कब अदा करना होगा ?

जवाब : जब पैदावार ह़ासि़ल हो जाए या'नी फ़स्ल पक जाए या फल निकल आएं और नफ़्अ़ उठाने के क़ाबिल हो जाएं तो उ़श्र वाजिब हो जाएगा । फ़स्ल काटने या फल तोड़ने के बा'द हि़साब लगा कर उ़श्र अदा करना होगा ।

(अद्दुर्रुल मुख़्तार व रद्दुल मुह़्तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल उ़श्र, मत्लुबुन मुहिम्मुन फ़ी हुक्मे आराज़ी...अलख़, जिल्द:3, स़-फ़ह़ा:321)

उ़श्र पेशगी अदा करना

सुवाल : क्या उ़श्र पेशगी त़ौर पर अदा किया जा सकता है ?

जवाब : इस की चन्द सूरतें हैं:

(1) जब खेती तैयार हो जाए तो उ़स का उ़श्र पेशगी देना जाइज़ है ।

(2) खेती बोने और ज़ाहिर होने के बा'द अदा किया तो भी ज़ाइज है ।

(3) अगर बोने के बा'द और ज़ाहिर होने से पहले अदा किया तो अज़्हर (या ज़ियादा ज़ाहिर) येह है कि पेशगी अदा करना जाइज़ नहीं ।

(4) फलों के ज़ाहिर होने से पहले दिया तो पेशगी देना जाइज़ नहीं और ज़ाहिर होने के बा'द दिया तो जाइज़ है

(फ़तावा आ़लमगीरी, किताबुज़्ज़कात, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:186)

मदीना: अगर्चे ज़िक्र की गई बा'ज़ सूरतों में पेशगी उ़श्र अदा करना जाइज़ है लेकिन अफ़्ज़ल येह है कि पैदावार ह़ासि़ल होने के बा'द उ़श्र अदा किया जाए ।

(अल बह़्रुर्राइक़, कितुाज़्ज़कात, जिल्द:2, स़-फ़ह़ा:392)

फल ज़ाहिर होने और खेती तैयार होने से मुराद

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तैयार होने से क्या मुराद है ?

जवाब : इस से मुराद येह है कि खेती इतनी तैयार हो जाए और फल इतने पक जाएं कि इन के ख़राब होने या सूख जाने वग़ैरा का अन्देशा न रहे अगर्चे तोड़ने या काटने के क़ाबिल न हुए हों ।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जिल्द:10, स़-फ़ह़ा:241)

पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तैयार होने के बा'द फल बेचे तो उ़श्र बेचने वाले पर होगा या खरीदने वाले पर ?

जवाब : ऐसी सूरत में उ़श्र बेचने वाले पर होगा।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जिल्द:10, स़-फ़ह़ा:241)

उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर

सुवाल : उ़श्र अदा करने में ताख़ीर करना कैसा ?

जवाब : उ़श्र पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जो अह़काम ज़कात की अदाएगी के हैं, वोही अह़काम उ़श्र की अदाएगी के भी हैं। इस लिये बिग़ैर मजबूरी के इस की अदाएगी में ताख़ीर करने वाला गुनहगार है और उस की शहादत (या'नी गवाही) मक़्बूल नहीं।

(अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुल अव्वल, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:170)

सुवाल : अगर कोई उ़श्र वाजिब होने के बा वुजूद अदा न करे तो क्या करना चाहिये ?

जवाब : जो ख़ुशी से उ़श्र न दे तो बादशाहे इस्लाम जबरन (या'नी ज़बरदस्ती) उस से उ़श्र ले सकता है और इस सूरत में भी उ़श्र अदा हो जाएगा मगर स़वाब का मुस्तह़क़ नहीं और ख़ुशी से अदा करे तो स़वाब का मुस्तह़क़ है।"

(अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्सादिस फ़ी ज़कातिज़्ज़रए वस्स़मार, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:185)

मदीना: याद रहे कि ज़बरदस्ती उ़श्र वुसूल करना बादशाहे इस्लाम ही का काम है आ़म लोगों को येह इख़्तियार ह़ासिल नहीं है। ऐसी सूरते ह़ाल में उसे उ़श्र अदा करने की तरग़ीब दी जाए और रब तआ़ला की नाराज़गी का एह़सास दिलाया जाए। ऐसे लोगों को येह रिसाला पढ़ने के लिये तोह़फ़तन पेश करना भी बेह़द मुफ़ीद होगा, اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

www.dawateislami.net

उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ते'माल

सुवाल : क्या उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार इस्ते'माल कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : जब तक उ़श्र अदा न कर दे पैदावार से उ़श्र अलग न कर ले, उस वक़्त तक पैदावार में से कुछ भी इस्ते'माल करना जाइज़ नहीं और अगर इस्ते'माल कर लिया तो इस में जो उ़श्र की मिक़्दार बनती है इतना तावान अदा करे अलबत्ता थोड़ा सा इस्ते'माल कर लिया तो मुआ़फ़ है।

(अद्दुर्रुल मुख़्तार व रद्दुल मुह़्तार, किताबुज़्ज़कात, मुत़्लबहम फ़ी हुक्मे अराज़ी मिस्र अलख़, जिल्द:3, स़-फ़ह़ा:321,322)

उ़श्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?

सुवाल : जिस पर उ़श्र वाजिब हो और वोह फ़ौत हो जाए और पैदावार भी मौजूद है तो क्या इस में से उ़श्र दिया जाएगा ?

जवाब : ऐसी सूरत में अगर पैदावार मौजूद हो तो इस पैदावार में से उ़श्र दिया जाएगा।

(अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्सादिस फ़ी ज़कातुज़रअ़, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:185)

उ़श्र में रक़म देना

सुवाल : क्या उ़श्र में सिर्फ़ पैदावार ही देनी होगी या उस की क़ीमत भी दी जा सकती है ?

जवाब : मौजूदा फ़स्ल में से जिस क़दर ग़ल्ला या फल हों उन का पूरा उ़श्र अलाह़िदा करे या

इस की पूरी क़ीमत (बतौ़रे उ़श्र) दे, दोनों त़रह़ से जाइज़ है।

(अल फ़तावल मुस्त़फ़विया, स़-फ़ह़ा:298)

अगर तवील अ़रसे़ से उ़श्र अदा न किया हो तो ?

सुवाल : अगर कई साल उ़श्र अदा न किया तो क्या किया जाए ?

जवाब : उ़श्र की अदमे अदाएगी पर तौबा करे और सा़बिक़ा सालों के उ़श्र का हि़साब लगा कर ब क़दरे इस्तिताअ़त अदा करता रहे।

(माख़ूज़ अज़ अल फ़तावल हिन्दिया अल मुस्त़फ़विया, स़-फ़ह़ा:298)

अगर फ़स्ल ही काश्त न की तो ?

सुवाल : अगर ज़राअ़त पर क़ादिर होने के बा वुजूद किसी ने फ़स्ल काश्त नहीं की तो क्या इस सूरत में भी इस पर उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : अगर किसी ने ज़राअ़त पर क़ादिर होने के बा वुजूद अगर फ़स्ल काश्त नहीं की तो पैदावार न होने की बिना पर उस पर उ़श्र की अदाएगी वाजिब नहीं क्यूं कि उ़श्र ज़मीन पर नहीं उस की पैदावार पर वाजिब होता है।

(रद्दुल मुह़तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल उ़श्र, जिल्द:3, स़-फ़ह़ा:323)

फ़स्ल ज़ाएअ़ होने की सूरत में उ़श्र

सुवाल : अगर किसी वजह से फ़स्ल ज़ाएअ़ हो गई तो उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : खेत बोया मगर पैदावार ज़ाएअ़ हो गई म-स़लन खेती डूब गई या जल गई या सर्दी और लू से जाती रही तो इन सब सूरतों में उ़श्र साकित है, जब कि कुल जाती रही और अगर कुछ बाक़ी है तो इस बाक़ी का उ़श्र लेंगे और अगर जानवर खा गए तो (उ़श्र) साकित नहीं और (उ़श्र) साकित होने के लिये येह भी शर्त़ है कि इस के बा'द इस साल के अन्दर इस में दूसरी ज़राअ़त तैयार न हो सके और येह भी शर्त़ है कि तोड़ने या काटने से पहले हलाक हो वरना साकित नहीं।

(रद्दुल मुह़तार, किताबुज़्ज़कात, जिल्द:3, स़-फ़ह़ा:323)

उ़श्र किस को दिया जाए

सुवाल : उ़श्र किसे दिया जाए ?

जवाब : उ़श्र चूंकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है, इस लिये जिन को ज़कात दी जा सकती है उन को उ़श्र भी दिया जा सकता है।

(अल फ़तावल ख़ानिया, किताबुज़्ज़कात, फ़स्ल फ़ील उ़श्र फी मायख़्रुजुहुल अर्द, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:132)

इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है :

(1) फ़क़ीर (2) मिस्कीन (3) आ़मिल (4) रिक़ाब (5) ग़ारिम (6) फ़ी सबीलिल्लाह (7) इब्नुस्सबील या'नी मुसाफ़िर।

(अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्साबेअ़ फ़ील मसारिफ़, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:187)

वज़ाहत

फ़क़ीर: वोह जो मालिके निसाब न हो। मालिके निसाब होने से मुराद येह है किसी शख़्स के पास साढ़े सात तोले सोना, या साढ़े बावन तोले चांदी, या इतनी मालिय्यत की रक़म, या इतनी मालिय्यत का माले तिजारत हो, या इतनी मालिय्यत का ज़रूरियाते ज़िन्दगी से ज़ाइद सामान हो और उस पर अल्लाह तआला या बन्दों का इतना क़र्ज़ न हो कि जिसे अदा कर के ज़िक्र कर्दा निसाब बाक़ी न रहे।

(अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्साबेअ फ़िल मसारिफ़, जिल्द:1, स-फ़हा:187)

मदीना: ज़रूरियाते ज़िन्दगी से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन की उ़मूमन इन्सान को ज़रूरत होती है और इन के बिग़ैर गुज़र अवक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी मह़सूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्मे दीन से मुतअ़ल्लिक़ किताबें और पेशे से मुतअ़ल्लिक़ औज़ार वग़ैरा। अल्लाह तआ़ला के क़र्ज़ से मुराद साबिक़ा ज़कात या क़ुरबानी वाजिब होने के बा वुजूद न करने की सूरत में जानवर की क़ीमत स-दक़ा करना है।

मिस्कीन: वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि वोह खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोह़ताज है कि लोगों से सुवाल करे।

(अल मर्जउ़स्साबिक़)

आमिल: वोह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उ़श्र वुसूल करने के लिये मुक़र्रर किया हो। (अल मर्जउस्साबिक़, स-फ़हा:188)

मदीना: स़द्रुश्शरीआ़, बदरुत्तरीक़ा मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه बहारे शरीअ़त में फ़रमाते हैं कि "आ़मिल अगर्चे ग़नी हो अपने काम की उजरत ले सकता है और हाशिमी हो तो उस को माले ज़कात में से देना भी ना जाइज़ और उसे लेना भी ना जाइज़, हां अगर किसी और मद्द (या'नी ज़िम्न) में दें तो लेने में ह़-रज नहीं।" (लेकिन फ़ी ज़माना शर-ई आ़मिल मौजूद नहीं हैं)

(बहारे शरीअ़त, हिस्सा:5, स-फ़हा:57)

रिक़ाब: से मुराद मकातिब ग़ुलाम है। मकातिब उस ग़ुलाम को केहते हैं जिस से उस के आक़ा ने उस की आज़ादी के लिये कुछ क़ीमत अदा करना तै की हो। फ़ी ज़माना रिक़ाब मौजूद नहीं। (अल मर्रजउस्साबिक़)

ग़ारिम: से मुराद मक़रूज़ है या'नी उस पर इतना क़र्ज़ हो कि उसे निकालने के बा'द ज़कात का निसाब बाक़ी न रहे अगर्चे इस का दूसरों पर क़र्ज़ बाक़ी हो मगर लेने पर क़ुदरत न रखता हो।

(अद्दुर्रुल मुख़्तार मअ़ रद्दुल मुह़तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल मस्रफ़, जिल्द:3, स-फ़हा:339)

फ़ी सबीलिल्लाह: या'नी राहे ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ में ख़र्च करना, इस की चन्द सूरतें हैं।

(1) कोई शख़्स मोह़ताज है और येह जिहाद में जाना चाहता है इस के पास सुवारी और ज़ादे राह नहीं हैं तो इसे माले ज़कात दे सकते हैं कि येह राहे ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ में देना है अगर्चे वोह कमाने पर

क़ादिर हो।

(2) कोई ह़ज के लिये जाना चाहता है और उस के पास ज़ादेराह नहीं उस को ज़कात दे सकते हैं लेकिन उसे ह़ज के लिये लोगों से सुवाल करना जाइज़ नहीं।

(3) त़ालिबे इ़ल्म, इ़ल्मे दीन पढ़ता है या पढ़ना चाहता है उस को भी दे सकते हैं कि येह राहे ख़ुदा عَزَّوَجَلَّ में ख़र्च करना है बल्कि त़ालिबे इ़ल्म सुवाल कर के भी माले ज़कात ले सकता है अगर्चे वोह कमाने पर क़ुदरत रखता हो।

(4) इसी त़रह़ हर नेक काम में माले ज़कात इस्ते'माल करना फ़ी सबीलिल्लाह या'नी अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की राह में ख़र्च करना है। माले ज़कात (और उ़श्र) में दूसरे को मालिक कर देना ज़रूरी है, बिग़ैर मालिक किये ज़कात अदा नहीं हो सकती।

(अद्दुर्रुल मुख़्तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल मस़रफ़, जिल्दः3, स़-फ़ह़ाः335)

इब्ने सबील: या'नी वोह मुसाफ़िर (यहां मुसाफ़िर से मुराद शर-ई मुसाफ़िर है और शर-ई मुसाफ़िर वोह है जो तक़रीबन 92 किलो मीटर सफ़र करने का इरादा रखता हो) जिस के पास सफ़र की ह़ालत में माल न रहा, येह ज़कात ले सकता है अगर्चे इस के घर में माल मौजूद हो मगर उसी क़दर ले जिस से इस की ज़रूरत पूरी हो जाए, ज़ियादा की इजाज़त नहीं।

(अल फ़तावल हिन्दिया, कितताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्साबेअ़ फ़िल मस़ारिफ़, जिल्दः1, स़-फ़ह़ाः188)

मदीना (1): स़द्रुश्शरीआ़, बद्रुत्त़रीक़ा मुफ़्ती मुह़म्मद अम्जद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه बहारे शरीअ़त में फ़रमाते हैं कि "जिन लोगों की निस्बत येह बयान किया है कि उन्हें ज़कात दे सकते हैं इन सब का फ़क़ीर होना शर्त़ है सिवाए आ़मिल के कि इस के लिये फ़क़ीर होना शर्त़ नहीं और इब्नुस्सबील (मुसाफ़िर) अगर्चे ग़नी हो उस वक़्त फ़क़ीर के हुक्म में है बाक़ी किसी को जो फ़क़ीर न हो ज़कात नहीं दे सकते।" (बहारे शरीअ़त, ह़िस़्स़ाः5, स़-फ़ह़ाः63)

मदीना (2): ज़कात देने वाले को इख़्तियार होता है कि चाहे तो उ़श्र को इन तमाम अफ़राद में थोड़ा थोड़ा तक़्सीम कर दे और अगर चाहे तो किसी एक ही को दे दे। अगर माले ज़कात इतना है कि ब क़-दरे निस़ाब नहीं है तो एक ही शख़्स़ को दे देना अफ़्ज़ल है और अगर ब क़दरे निस़ाब है तो एक ही शख़्स़ को दे देना मकरूह है, लेकिन ज़कात बहर ह़ाल अदा हो जाएगी। हां अगर वोह शख़्स़ ग़ारिम या'नी क़र्ज़दार है तो इस को इतना दे देना कि क़र्ज़ निकाल कर कुछ न बचे या निस़ाब से कम बचे, बिला कराहत जाइज़ है। (बहारे शरीअ़त, ह़िस़्स़ाः5, स़-फ़ह़ाः59)

जिन को उ़श्र नहीं दे सकते

सुवाल: वोह कौन से लोग हैं जिन को उ़श्र नहीं दे सकते ?

जवाब: उ़श्र चूंकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जिन को ज़कात नहीं दे सकते उन को उ़श्र भी नहीं दे सकते। म-स़लन

(1) बनी हाशिम (या'नी सादाते किराम) को ज़कात नहीं दे सकते चाहे देने वाला हाशिमी हो या ग़ैरे हाशिमी। बनी हाशिम से मुराद ह़ज़रते अ़ली व जा'फ़र व अ़क़ील और ह़ज़रते अ़ब्बास व

ह़ारिस़ बिन अ़ब्दुल मुत्त़लिब की औलाद हैं।

(बहारे शरीअ़त, हि़स्सा:5, स़-फ़ह़ा:63)

(2) अपनी अस़्ल या'नी मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, वग़ैरा और जिन को औलाद में येह (या'नी ज़कात देने वाला) है और अपनी औलाद म-स़लन, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी वग़ैरा को ज़कात नहीं दे सकते।

(रद्दुल मुह़तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल मस़रफ़, जिल्द:3, स़-फ़ह़ा:344)

(4) मियां बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसी त़रह़ अगर शौहर त़लाक़ दे चुका हो और अ़ौरत इद्दत में हो तो शौहर उसे ज़कात नहीं दे सकता और अगर इद्दत गुज़र चुकी है तो ज़कात दे सकता है।

(अद्दुर्रुल मुख़्तार व रद्दुल मुह़तार, किताबुज़्ज़कात, बाबुल मस़रफ़, जिल्द:3, स़-फ़ह़ा:345)

इमामे मस्जिद को उ़श्र देना

सुवाल: क्या इमामे मस्जिद को उ़श्र दिया जा सकता है ?

जवाब: इमामे मस्जिद स़ाह़िब अगर शर-ई फ़क़ीर न हों या सय्यिद स़ाह़िब हों तो उन को उ़श्र नहीं दिया जा सकता और अगर वोह शर-ई फ़क़ीर हों और सय्यिद ज़ादे न हों तो इस को उ़श्र दिया जा सकता है बल्कि अगर वोह अ़ालिम हों तो उन्हीं को देना अफ़्ज़ल है। मगर अ़ालिम को देते वक़्त इस बात का लिहाज़ रखा जाए कि उस का एह़तिराम पेशे नज़र हो और देने वाला अदब के साथ दे जैसे छोटे बड़ों को कोई चीज़ नज़्र करते हैं और مَعَاذَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ अ़ालिमे दीन को देते वक़्त अगर ह़क़ारत दिल में आई तो येह हलाकत बल्कि बहुत बड़ी हलाकत है।

(बहारे शरीअ़त, हि़स्सा:5, स़-फ़ह़ा:63)

फ़तावा अ़ालमगीरी में है कि "फ़क़ीर अ़ालिम पर स़-दक़ा करना जाहिल फ़क़ीर पर स़-दक़ा करने से अफ़्ज़ल है।"

(अल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्साबेअ़ फ़िल मस़ारिफ़, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:187)

सुवाल: इमामे मस्जिद को बत़ौरे उजरत उ़श्र देना कैसा ?

जवाब: इमामे मस्जिद को (ह़ीलए शर-ई के बिग़ैर) ब त़ौरे उजरत उ़श्र देना जाइज़ नहीं क्यूं कि मस्जिद मस़ारिफ़े ज़कात में नहीं है और उ़श्र के अह़काम वोही हैं जो ज़कात के हैं।

(माख़ूज़ मिनल फ़तावल हिन्दिया, किताबुज़्ज़कात, अल बाबुस्साबेअ़ फ़िल मस़ारिफ़, जिल्द:1, स़-फ़ह़ा:188)

मदीना: फ़ुक़्हाए किराम رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی ***ज़कात (व उ़श्र) का शर-ई ह़ीला*** करने का त़रीक़ा यूं इर्शाद फ़रमाते हैं, कि ***फ़क़ीर*** को (ज़कात की रक़म का) मालिक कर दें और वोह (ता'मीरे मस्जिद वग़ैरा में) स़र्फ़ करे, इस त़रह़ स़वाब दोनों को होगा।

(रद्दुल मुह़तार, जिल्द:3, स़-फ़ह़ा:343)

मज़ीद तफ़्सील के लिये "क़ज़ा नमाज़ों का त़रीक़ा" अज़ अमीरे अहले सुन्नत, बानीए दा'वते इस्लामी मौलाना मुह़म्मद इल्यास अ़त़्त़ार क़ादिरी دامت برکاتہم العالیہ का मुत़ालआ़ करें ।

ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

ख़रीफ़ : इस से मुराद मौसिमे गरमा की फ़स्लें हैं जिन की काश्त मौसिमे गरमा के आग़ाज़ में मार्च ता जून जब कि कटाई मौसिमे गरमा के इख़्तिताम और ख़ज़ां में अगस्त ता नवम्बर होती है ।

ख़रीफ़ की अहम्म फ़स्लें :

कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफ़ली, मकई, कमाद (या'नी गन्ना) और सूरज मुखी ख़रीफ़ की अहम्म फ़स्लें हैं दालों में दाल मूंग, दाल माश और लोबिया ख़रीफ़ में काश्त होती हैं ।

सब्ज़ियां: गर्मियों में कद्दू शरीफ़, टिंडा, करेला, भींडी तूरी, आलू, टमाटर, घिय्यातूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अर्वी शामिल हैं ।

फल: मोसिमे गर्मा में ख़रबूज़ा, तरबूज़, आम, फ़ाल्सा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ूबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुख़ारा, गर्मा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा शामिल हैं ।

रबीअ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

रबीअ़: इस से मुराद मौसिमे सरमा की फ़स्लें हैं जिन की काश्त मौसिमे सरमा के आग़ाज़ में अक्तूबर से दिसम्बर तक होती है और कटाई मौसिमे सरमा के इख़्तिताम और मौसिमे बहार में जनवरी ता एप्रील होती है ।

रबीअ़ की अहम्म फ़स्लें:

रबीअ़ की अहम्म फ़स्लों में गन्दुम, चने, जव, बरसीम, तोरिया, राई, सरसौं और लूसन हैं दालों में मसूर की दाल रबीअ़ की अहम्म फ़स्ल है ।

सब्ज़ियां : इस मौसिम में उठाई जाने वाली सब्ज़ियों में फूल गोभी, बन्द गोभी, शल्ग़म, गाजर, चुक़न्दर, मटर, प्याज़, लहसन, मूली, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के साग और मेथी शामिल हैं ।

फल: रबीअ़ के फलों में माल्टा, लोकाटा, बैर, अम्रूद, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, आमलूक (जापानी फल), संगतरा, पपीता, और नारियल शामिल हैं । उ़मूमन शहद भी रबीअ़ की फ़स्ल के साथ ही ह़ासिल किया जाता है ।

दा'वते इस्लामी के साथ तआ़वुन कीजिये

اَلحَمدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक दा'वते इस्लामी 30 से ज़ियादा शो'बा जात में म-दनी काम कर रही है । बराए करम ! अपनी ज़कात उ़श्र और स़-दक़ात व ख़ैरात दा'वते इस्लामी को देने के साथ साथ अपने रिश्ते दारों, पड़ोसियों और दोस्तों पर भी इन्फ़िरादी कोशिश फ़रमा कर उन के ज़कात व उ़श्र

www.dawateislami.net

और दीगर अ़ति़य्यात ***दा'वते इस्लामी के म-दनी मर्कज़*** पर पहुंचा कर या किसी ज़िम्मादार इस्लामी भाई को दे कर या म-दनी मर्कज़ पर फ़ोन कर के किसी इस्लामी भाई को त़लब फ़रमा कर उन्हें इनायत फ़रमा दीजिये । अल्लाह عَزَّوَجَلَّ आप का सीना मदीना बनाए । اٰمین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صلی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلم

मक्त-बतुल मदीना

फ़र्स्ट फ़्लोर, सिलेक्टेड हाऊस, तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-380001

फोन: (079) 25391168 • www.dawateislami.net

दा'वते इस्लामी की झल्कियां

(1) 60 मुमालिक: اَلْحَمْدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ तब्लीग़े क़ुरआनो सुन्नत की आ़लमगीर ग़ैर सियासी तह़रीक ***"दा'वते इस्लामी"*** ता दमे तह़रीर दुन्या के तक़रीबन 60 मुमालिक में अपना पैग़ाम पहुंचा चुकी है और आगे कूच जारी है । ***(2) कुफ़्फ़ार में तब्लीग़:*** लाखों बे अ़मल मुसल्मान, नमाज़ी और सुन्नतों के आ़दी बन चुके हैं । मुख़्तलिफ़ मुमालिक में कुफ़्फ़ार भी मुबल्लिग़ीने दा'वते इस्लामी के हाथों मुशर्रफ़ ब इस्लाम होते रहते हैं । ***(3) म-दनी क़ाफ़िले :*** आ़शिक़ाने रसूल के सुन्नतों की तरबिय्यत के बे शुमार म-दनी क़ाफ़िले मुल्क ब मुल्क, शहर ब शहर और करिया ब करिया सफ़र कर के इ़ल्मे दीन और सुन्नतों की बहारें लुटा रहे हैं और नेकी की दा'वत की धूमें मचा रहे हैं ।

(4) म-दनी तरबिय्यत गाहें : मुतअ़द्दद मक़ामात पर म-दनी तरबिय्यत गाहें क़ाइम हैं जिन में दूरो नज़्दीक से इस्लामी भाई आ कर क़ियाम करते आ़शिक़ाने रसूल की स़ोह़बत में सुन्नतों की तरबिय्यत पाते और फिर क़ुर्बो जवार में जा कर ***"नेकी की दा'वत"*** के म-दनी फूल महकाते हैं ।

(5) मसाजिद की ता'मीर: के लिये मजलिसे ख़ुद्दामुल मसाजिद क़ाइम है, ***मुतअ़द्दद*** मसाजिद की ता'मीरात का हर वक़्त सिल्सिला रहता है, कई शहरों में ***"म-दनी मर्कज़ फ़ैज़ाने मदीना"*** की ता'मीरात का काम भी जारी है ।

(6) आइम्मए मसाजिद : बेशुमार मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िन और ख़ादिमीन के मुशाहरे (तनख़्वाहों) की अदाएगी का भी सिल्सिला है ।

(7) गूंगे, बहरे और नाबीना : इन के अन्दर भी म-दनी काम हो रहा है और उन के म-दनी क़ाफ़िले भी सफ़र करते रहते हैं ।

(8) जेलख़ाने: क़ैदियों की ता'लीम व तरबिय्यत के लिये जेल ख़ानों में भी म-दनी काम की तरकीब है । कई डाकू और जराइम पेशा अफ़राद जेल के अन्दर होने वाले म-दनी कामों से मुतअस्सिर हो कर ताइब होने के बा'द रिहाई पा कर आ़शिक़ाने रसूल के साथ म-दनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर बनने और सुन्नतों भरी ज़िन्दगी गुज़ारने की सआ़दत पा रहे हैं, आतिशें अस्लहे के ज़रीए अन्दाधूंद गोलियां चलाने वाले अब सुन्नतों के म-दनी फूल

बरसा रहे हैं ! मुबल्लिग़ीन की इन्फ़िरादी कोशिशों के बाइस़ कुफ्फार क़ैदी भी मुशर्रफ़ ब इस्लाम हो रहे हैं ।

(9) इज्तिमाई ए'तिक़ाफ़ : दुन्या की बे शुमार मसाजिद में माहे र-मज़ानुल मुबारक के आख़िरी अ़शरह में इज्तिमाई ए'तिक़ाफ़ का एहतिमाम किया जाता है । इन में इस्लामी भाई इ़ल्मे दीन ह़ासिल करते, सुन्नतों की तरबिय्यत पाते हैं नीज़ कई मो'तकिफ़ीन चांदरात ही से आ़शिक़ाने रसूल के साथ सुन्नतों की तरबिय्यत के म-दनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर बन जाते हैं ।

(10) ह़ज के बा'द सब से बड़ा इज्तिमाअ़ : दुन्या के मुख़्तलिफ़ मुमालिक में हज़ारों मक़ामात पर होने वाले हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआ़त के इ़लावा आ़लमी और सूबाई सत्ह़ पर भी सुन्नतों भरे इज्तिमाआ़त होते हैं । जिन में हज़ारों, लाखों आ़शिक़ाने रसूल शिर्कत करते हैं और इज्तिमाअ़ के बा'द ख़ुश नस़ीब इस्लामी भाई सुन्नतों की तरबिय्यत के म-दनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते हैं । मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ़ (पाकिस्तान) में वाक़ेअ़ स़ह़राए मदीना के कस़ीर रक़्बे पर हर साल तीन दिन का बैनल अक़्वामी सुन्नतों भरा इज्तिमाअ़ होता है । जिस में दुन्या के कई मुमालिक से म-दनी क़ाफ़िले शिर्कत करते हैं । **बिला शुबा येह ह़ज के बा'द मुसल्मानों का सब से बड़ा इज्तिमाअ़ होता है ।** स़ह़राए मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान और स़ह़राए मदीना बाबुल मदीना कराची का कस़ीर रक़्बा ***दा'वते इस्लामी*** की मिल्किय्यत है ।

www.dawateislami.net

(11) इस्लामी बहनों में म-दनी इन्क़िलाब: इस्लामी बहनों के भी शर-ई पर्दे के साथ मुतअ़द्दद मक़ामात पर हफ़्तावार इज्तिमाआ़त होते हैं । ला ता'दाद बे अ़मल इस्लामी बहनें बा अ़मल, नमाज़ी और म-दनी बुर्क़ओ़ं की पाबन्द बन चुकी हैं । दुन्या के मुख़्तलिफ़ मुमालिक में अक्स़र घरों के अन्दर उन के तक़रीबन रोज़ाना हज़ारों मदारिस बनाम मद्र-सतुल मदीना (बराए बालिग़ात) भी लगाए जाते हैं, एक अन्दाज़े के मुत़ाबिक़ फ़क़त (बाबुल मदीना कराची) में इस्लामी बहनों के दो हज़ार मद्रसे तक़रीबन रोज़ाना लगते हैं जिन में इस्लामी बहनें क़ुरआने पाक, नमाज़ और सुन्नतों की मुफ़्त ता'लीम पातीं और दुआएं याद करती हैं ।

(12) म-दनी इन्आ़मात: इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों और त़ुलबा को फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन व मुस्तह़ब्बात और अख़्लाक़िय्यात का पाबन्द बनाने और मोहलिकात (या'नी गुनाहों) से बचाने के लिये ***म-दनी इन्आ़मात*** की सूरत में एक निज़ामे अ़मल दिया गया है । बे शुमार इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें और त़ु-लबा म-दनी इन्आ़मात के मुत़ाबिक़ अ़मल कर के रोज़ाना सोने से क़ब्ल "फ़िक्रे मदीना" या'नी अपने आ'माल का जाइज़ा ले कर कार्ड या पॉकिट साइज़ रिसाले में दिये गए खाने

पुर करते हैं ।

(13) म-दनी मुज़ाकरात : बसा अवक़ात म-दनी मुज़ाकरात के इज्तिमाअ़ात का इन्एक़ाद भी होता है ।

जिस में अ़क़ाइदो आ'माल, शरीअ़त व त़रीक़त तारीख़ो सीरत, त़िबाबत व रूहा़निय्यत वग़ैरा मुख़्तलिफ़ मौज़ूआ़त पर पूछे गए सुवालात के जवाबात दिये जाते हैं । (येह जवाबात ख़ुद अमीरे अहले सुन्नत مدظلہ العالی इर्शाद फ़रमाते हैं । मजलिसे मक्त-बतुल मदीना)

(14) रूहा़नी इ़लाज और इस्तिख़ारा: दुख्यारे मुसल्मानों का ता'वीज़ात के ज़रीए फ़ी सबीलिल्लाह इ़लाज किया जाता है नीज़ इस्तिख़ारा करने का सिल्सिला भी है । रोज़ाना हज़ारों मुसल्मान इस से मुस्तफ़ीज़ होते हैं ।

(15) हुज्जाज की तरबिय्यत: ह़ज के मौसिमे बहार में ह़ाजी केम्पों में मुल्लिग़ीने दा'वते इस्लामी ह़ाजियों की तरबिय्यत करते हैं । ह़जो ज़ियारते मदीनए मुनव्वरा में रहनुमाई के लिये मदीने के मुसाफ़िरों को ह़ज की किताबें भी मुफ़्त पेश की जाती हैं ।

(16) ता'लीमी इदारे: ता'लीमी इदारों म-स़लन दीनी मदारिस, स्कूल्ज़, कॉलिजिज़ र यूनिवर्सिटिज़ के असातिज़ा व तु-लबा को मीठे मीठे आक़ा मदीने वाले मुस्त़फ़ा صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم की सुन्नतों से रू शनास करवाने के लिये भी म-दनी काम हो रहा है । बे शुमार तु़लबा सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ात में शिर्कत करते हैं नीज़ म-दनी क़ाफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते रहते हैं । الحمدللہ عزوجل मुतअ़द्दद दुन्यवी उ़लूम के दिलदादह बे अ़मल तु़लबा, नमाज़ी और सुन्नतों के आ़दी हो गए ।

(17) जामिअ़तुल मदीना: कस़ीर जामिआत बनाम ***"जामिअ़तुल मदीना"*** क़ाइम हैं उन के ज़रीए ला ता'दाद इस्लामी भाइयों को (ह़स्बे ज़रूरत क़ियाम व त़आ़म की सहूलतों के साथ) दर्से निज़ामी (या'नी आ़लिम कोर्स) और इस्लामी बहनों को आ़लिमा कोर्स की मुफ़्त ता'लीम दी जाती है । अहले सुन्नत के मदारिस के मुल्कगीर इदारे तन्ज़ीमुल मदारिस (पाकिस्तान) की जानिब से लिये जाने वाले इम्तिहा़नात में बरसों से तक़रीबन हर साल ***"दा'वते इस्लामी"*** के जामिअ़ात के तु़लबा और त़ालिबात पाकिस्तान में नुमायां कामियाबी हा़सि़ल कर के बसा अवक़ात अव्वल, दुवुम और सिवुम पोज़ीशन हा़सि़ल करते हैं ।

(18) मद्र-सतुल मदीना: अन्दूरने व बैरूने मुल्क हि़फ़्ज़ो नाज़ेरा के ला ता'दाद मदारिस बनाम ***"मद्र-सतुल मदीना"*** क़ाइम हैं । पाकिस्तान में ता दमे तह़रीर कमो बेश 42000 (बयालीस हज़ार) म-दनी मुन्ने और म-दनी मुन्नियों को हि़फ़्ज़ो नाज़िरा की मुफ़्त ता'लीम दी जा रही है ।

(19) मद्र-सतुल मदीना (बालिग़ान): इसी त़रह़ मुख्तलिफ़ मसाजिद वग़ैरा में उ़मूमन बा'द नमाज़े इ़शा हज़ार हा मद्र-सतुल मदीना की तरकीब होती है जिन में

इस्लामी भाई स़ह़ीह़ मख़ारिज से ह़ुरूफ़ की दुरुस्त अदाएगी के साथ क़ुरआने करीम सीखते और दुआएं याद करते, नमाजें वग़ैरा दुरुस्त करते और सुन्नतों की मुफ़्त ता'लीम ह़ासि़ल करते हैं।

(20) शिफ़ा ख़ाने: मह़दूद पैमाने पर शिफ़ा ख़ाने भी क़ाइम हैं जहां बीमार त़ुलबा और म-दनी अ़मले का मुफ़्त इ़लाज किया जाता है। ज़रूरतन दाख़िल भी करते हैं नीज़ ह़स्बे ज़रूरत बड़े अस्पतालों के ज़रीए़ भी इ़लाज की तरकीब बनाई जाती है।

(21) ***तख़स्सुस़ फ़िल फ़िक़्ह:*** या'नी "मुफ़्ती कोर्स" का भी सिल्सिला है जिस में ***मुतअ़द्दद*** उ़-लमाए किराम इफ़्ता की तरबिय्यत पा रहे हैं।

(22) दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत: मुसल्मानों के शर-ई मसाइल के ह़ल के लिये ***मुतअ़द्दद*** "दारुल इफ़्ता" क़ाइम किये गए हैं जहां ***दा'वते इस्लामी*** के मुबल्लिग़ीन मुफ़्तियाने किराम, बिल मुशाफ़ा, तह़रीरी और मक्तूबात के ज़रीए़ शर-ई मसाइल का ह़ल पेश कर रहे हैं। अक्स़र फ़तावा कम्प्यूटर पर कम्पोज़ कर के दिये जाते हैं।

(23) **इन्टरनेट:** इन्टरनेट की वेब साइट www.dawateislami.net के ज़रीए़ दुन्या भर में इस्लाम का पैग़ाम आ़म किया जा रहा है।

(24) **ASK THE IMAM:** दा'वते इस्लामी की website में ASK THE IMAM पर दुन्या भर के मुसल्मानों की त़रफ़ से पूछे जाने वाले मसाइल का ह़ल बताया जाता, कुफ़्फ़ार के इस्लाम पर ए'तेराज़ात के जवाबात दिये जाते और उन को इस्लाम की दा'वत पेश की जाती है।

(25,26) **मक्त-बतुल मदीना** और **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्यां :** इन दोनों इदारों के ज़रीए़ सरकारे आ'ला ह़ज़रत और दीगर उ़-लमाए अहले सुन्नत की किताबें ज़ेवरे त़ब्अ़ से आरास्ता हो कर लाखों लाख की ता'दाद में अ़वाम के हाथों में पहुंच कर सुन्नतों के फूल खिला रही हैं। اَلْحَمْدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ दा'वते इस्लामी ने अपना प्रेस भी क़ाइम कर लिया है। नीज़ सुन्नतों भरे बयानात और म-दनी मुज़ाकरात की लाखों केसेटें भी दुन्या भर में पहुंची और पहुंच रही हैं।

(27) **मजलिसे तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल:** ग़ैर मोह़तात़ कुतुब छापने के सबब उम्मते मुस्लिमा में फैलने वाली गुमराही और होने वाले गुनाहे जारिय्या के सद्दे बाब के लिये "मजलिसे तफ़्तीश कुतुबो रसाइल" क़ाइम है जो मुस़न्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन की कुतुबु को अ़क़ाइद, कुफ़्रिय्यात, अख़्लाक़िय्यात, अ़रबी इ़बारात और फ़िक़्ही मसाइल के ह़वाले से मुलाह़ज़ा कर के सनद जारी करती है।

(28) ***मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़:*** मुबल्लिग़ीन की तरबिय्यत के लिये मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ का एहतिमाम किया गया है म-स़लन 41 दिन का म-दनी क़ाफ़िला कोर्स, 63 दिन का तरबिय्यती कोर्स, गूंगे बहरों के लिये 30 दिन का तरबिय्यत कोर्स, इमामत कोर्स और मुदर्रिस कोर्स वग़ैरहम।

(29) ***फ़ैज़ाने क़ुरआनो सुन्नत कोर्स:*** इस्कूल, कॉलिज और यूनिवर्सिटी के त़ुलबा, असातिज़ा और स्टाफ़ को ज़रूरियाते दीन से रूशनास करवाने के लिये अपनी नौइ़य्यत का मुन्फ़रिद "फ़ैज़ाने क़ुरआनो सुन्नत कोर्स"भी शुरूअ़ किया गया है, इस्लामी बहनों में भी येह कोर्स जारी है।

मआख़ज़ो मराजेअ

क़ुरआन मजीद तर्जमए कन्ज़ुल ईमान	ज़ियाउल क़ुरआन पब्लीकेशन्ज़ लाहौर
स़ह़ीह़ुल बुख़ारी	दारुल कुतुबिल इ़ल्मिय्या, बैरूत
स़ह़ीह़ मुस्लिम	दारे इब्ने ह़ज़्म बैरूत
मरासील अबी दावूद मअ़ अबी दावूद	कुतुब ख़ाना रशीदिय्या, दहली
अल मुअ्‌जमुल अवसत़	दारुल कुतुबिल इ़ल्मिय्या
दुर्रुल मुख़्तार मअ़ रद्दुल मुह़तार	दारुल मा'रेफ़ा बैरूत
रद्दुल मुह़तार	दारुल मा'रेफ़ा बैरूत
कन्ज़ुल उ़म्माल	दारुल कुतुब बैरूत
फ़िरदौसुल अख़्बार	दारुल फ़िक्र बैरूत
अल फ़तावा अल हिन्दिया	कोइटा
अल फ़तावा अल ख़ानिया	पिशावर
अल बह़्रुर्राइक़	कोइटा
अन्नहरुल फ़ाइक़	मुल्तान
फ़तावा र-ज़विय्या	रज़ा फ़ाउन्डेशन लाहौर
अल फ़तावा अल मुस्त़फ़विय्या	शब्बीर बिरादर्ज़ लाहौर
बहारे शरीअ़त	मक्तबए र-ज़विय्या बाबुल मदीना
बदाएउ़स्स़नाएअ़	दारुल फ़िक्र बैरूत

دعوت اسلامی
www.dawateislami.net